

बिहार सरकार
विधि विभाग

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक 2012



2012

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक 2012

विषय सूची ।

खंड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये बिहार राज्य की संचित निधि में से 790,55,59,42,000 (सात सौ नब्बे अरब पचपन करोड़ उनसठ लाख वयालिस हजार) रुपये मात्र की निकासी ।
3. विनियोग ।

अनुसूची ।

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2012

बिहार राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
।- (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(3) यह 01 अप्रील 2012 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 790,55,59,42,000 (सात सौ नब्बे अरब पचपन करोड़ उनसठ लाख वयालिस हजार) रुपये की निकासी ।-
- बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के बारे में, 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले अनेक भारों की पूर्ति के लिए अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अनधिक राशियां, जो कुल मिलाकर 790,55,59,42,000 (सात सौ नब्बे अरब पचपन करोड़ उनसठ लाख वयालिस हजार) रुपये शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेंगी ।

3. विनियोग ।- इस अधिनियम द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि में से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें 31 वीं मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के निमित्त विनियुक्त किया जायेगा ।

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान भंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
01	कृषि विभाग	राजस्व	15302108000	0	15302108000
		पूंजी	700000000	0	700000000
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	4458612000	0	4458612000
		पूंजी	0	0	0
03	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	3172573000	0	3172573000
		पूंजी	6694445000	0	6694445000
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	1160792000	0	1160792000
		पूंजी	87050000	0	87050000
05	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	0	75110000	75110000
		पूंजी	0	0	0
06	निर्वाचन विभाग	राजस्व	717705000	0	717705000
		पूंजी	0	0	0
07	निगरानी विभाग	राजस्व	243130000	0	243130000
		पूंजी	0	0	0
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	733806000	0	733806000
		पूंजी	0	0	0
09	सहकारिता विभाग	राजस्व	4081576000	0	4081576000
		पूंजी	478400000	0	478400000
10	उर्जा विभाग	राजस्व	22057728000	0	22057728000
		पूंजी	20562067000	0	20562067000
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	1263060000	0	1263060000
		पूंजी	28700000	0	28700000
12	वित्त विभाग	राजस्व	3753844000	2980000000	6733844000
		पूंजी	220000000	0	220000000
13	सूद भुगतान	राजस्व	0	51860010000	51860010000
		पूंजी	0	0	0
14	ऋण अदायगियाँ	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	30544790000	30544790000
15	पेंशन	राजस्व	100347245000	82984000	100430229000
		पूंजी	0	0	0
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	29064099000	0	29064099000
		पूंजी	2500000000	0	2500000000
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	877662000	0	877662000
		पूंजी	0	0	0
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	4604113000	0	4604113000
		पूंजी	0	0	0

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	राजस्व पूंजी	1894803000 32000000	0 0	1894803000 32000000
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व पूंजी	25530883000 5329000000	0 0	25530883000 5329000000
21	शिक्षा विभाग	राजस्व पूंजी	148141224000 2400000000	0 0	148141224000 2400000000
22	गृह विभाग	राजस्व पूंजी	39967462000 5130948000	0 0	39967462000 5130948000
23	उद्योग विभाग	राजस्व पूंजी	4883183000 330000000	0 0	4883183000 330000000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व पूंजी	720118000 0	0 0	720118000 0
25	सूचना प्राविधिकी विभाग	राजस्व पूंजी	2039813000 470000000	0 0	2039813000 470000000
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व पूंजी	1923860000 105000000	0 0	1923860000 105000000
27	विधि विभाग	राजस्व पूंजी	5744249000 0	0 0	5744249000 0
28	उच्च न्यायालय	राजस्व पूंजी	0 0	980205000 0	980205000 0
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व पूंजी	159931000 0	0 0	159931000 0
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व पूंजी	1489072000 4356000000	0 0	1489072000 4356000000
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व पूंजी	14921000 0	0 0	14921000 0
32	विधान मंडल	राजस्व पूंजी	1057219000 0	5537000 0	1062756000 0
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व पूंजी	3741654000 0	38010000 0	3779664000 0
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व पूंजी	0 0	131556000 0	131556000 0
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व पूंजी	8170385000 12199760000	0 0	8170385000 12199760000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व पूंजी	3345073000 3657831000	0 0	3345073000 3657831000

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान भंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	5622776000	0	5622776000
		पूंजी	15336945000	0	15336945000
38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व	1146653000	0	1146653000
		पूंजी	0	0	0
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	8188335000	0	8188335000
		पूंजी	30000000	0	30000000
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	4468200000	0	4468200000
		पूंजी	442221000	0	442221000
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	6645078000	0	6645078000
		पूंजी	38106300000	0	38106300000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	17413268000	0	17413268000
		पूंजी	50000000	0	50000000
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	633125000	0	633125000
		पूंजी	489700000	0	489700000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	10018823000	0	10018823000
		पूंजी	10000000	0	10000000
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	1149300000	0	1149300000
		पूंजी	2117000	0	2117000
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	174128000	0	174128000
		पूंजी	260666000	0	260666000
47	परिवहन विभाग	राजस्व	320711000	0	320711000
		पूंजी	136831000	0	136831000
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	15518613000	0	15518613000
		पूंजी	20000000	0	20000000
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	8067922000	0	8067922000
		पूंजी	21504699000	0	21504699000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	3565056000	0	3565056000
		पूंजी	2785574000	0	2785574000
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	33533088000	0	33533088000
		पूंजी	2274507000	0	2274507000
योग राजस्व			557126979000	56153412000	613280391000
योग पूंजी			146730761000	30544790000	177275551000
महायोग			703857740000	86698202000	790555942000

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य की संचित-निधि से कोई राशि भारत-संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं । ऐसी विधि में यह व्यवस्था रहेगी कि -

(क) विधान सभा द्वारा पारित किये गये अनुदानों, और

(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित कुल राशि राज्य की संचित निधि में से विनियोजित की जायगी ।

वर्तमान विधेयक का उद्देश्य है कि राज्य की संचित निधि में से 790,55,59,42,000 (सात सौ नब्बे अरब पचपन करोड़ उनसठ लाख वयालिस हजार) रुपये की राशि जिसका शोधन और विनियोग प्राधिकृत किया जाय, ताकि 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में शोधन के दौरान में आने वाले भारों की पूर्ति की जा सके ।

(सुशील कुमार मोदी)

भार-साधक, सदस्य ।